# कार्यालय नगर पालिका परिषद पिहानी-हरदोई

**सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति**

पत्रांक 434 /न0पा0परि0पिहानी/सार्वजनिक स्वास्थ्य-प्रदूषण/2018-2019/2018 दिनांक :-24/7/2018

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) संशोधन अधिनियम 2018 एवं तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 18.07.2018 के द्वारा प्रदेश में प्लास्टिक व अन्य नान-बायोडीग्रेडेबल मटैरियल के बने एक बार प्रयोग के उपरान्त डिस्पोजेबल आइटम के विनिर्माण व इस्तेमाल को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसके उल्लंघन पर अधिनियम में अर्थदण्ड व कारावास का प्रावधान किया गया है।

अतः नगर पालिका परिषद सीमान्तर्गत समस्त नागरिकों एवं दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि, किसी भी दशा में प्लास्टिक व अन्य डिस्पोजेबल आइटम का विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात न करें। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन किया जाता है और पालिका निरीक्षण में उसके पास प्रतिबंधित प्लास्टिक पायी जाती है तो उसके विरूद्ध अधिसूचना के अन्तर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके हर्जे खर्चे की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उसकी ही होगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पिहानी (हरदोई)

प्रतिलिपि :- संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

1. समस्त सम्मानित संवाददाता, दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक विश्ववार्ता, दैनिक इंकलाब, दैनिक आज, जदीद मरकज, राष्ट्रीय सहारा, नवभारत टाइम्स, तरूणमित्र/युवा गौरव, द टेलीकास्ट को उपरोक्तानुसार समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन के अनुरोध के साथ प्रेषित।
2. श्री गोपाल कृष्ण लिपिक को इस निर्देश से उपरोक्त का प्रकाशन कार्यालय सूचना पट पर एवं नगर क्षेत्रान्तर्गत प्रतिदिन एनाउन्समेंट भी करायें। एवं एनाउन्समेंट के फोटोग्राफ व वीडियोग्राफ पालिका वाट्सऐप ग्रुप पर अपलोड करायें।
3. कम्प्यूटर आपरेटर, न0पा0परि0 पिहानी को इस निर्देश से कि सूचना की प्रति पालिका वेबसाइट पर भी अपलोड करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
पिहानी (हरदोई)